



सत्यमेव जयते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



0/0-2

फाइल संख्या एचआरडी-II/65/2025/एपीएआर/2024-25/1505

दिनांक: 18 फरवरी 2026

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)/निदेशक (पीडीनास)

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल)

अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त(प्र.से.प्र.), मुख्यालय / अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त(आं.प्र.सं.)

क्षेत्रीय कार्यालयों/जिला कार्यालयों के सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त / प्रभारी अधिकारी।

विषय: स्पैरो के माध्यम से वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की तैयार करने/ पूरा करने के लिए समय-सीमा में संशोधन के संबंध में ।

संदर्भ-

- I. मुख्यालय के दिनांक 26.08.2025 के परिपत्र संख्या एचआरडी-II/65/2025/एपीएआर/2024/1407
- II. मुख्यालय के दिनांक 22.09.2025 के परिपत्र संख्या एचआरडी-II/65/2025/एपीएआर/2024-225
- III. मुख्यालय के दिनांक 01.10.2025 के परिपत्र संख्या एचआरडी-II/65/2025/एपीएआर/2024-25/1431_शुद्धि पत्र
- IV. मुख्यालय के दिनांक 06.11.2025 के परिपत्र संख्या एचआरडी-II/65/ 2025/एपीएआर/2024-25/13517
- V. मुख्यालय के दिनांक 28.11.2025 के परिपत्र संख्या एचआरडी-II/65/2025/एपीएआर/2024-25/14031
- VI. मुख्यालय के दिनांक 17.12.2025 के परिपत्र संख्या एचआरडी-II/65/2025/एपीएआर/2024-25/14469
- VII. मुख्यालय के दिनांक 06.01.2026 के परिपत्र संख्या एचआरडी-II/65/2025/एपीएआर/2024-25/1477
- VIII. मुख्यालय के दिनांक 19.01.2026 के परिपत्र संख्या एचआरडी-II/65/2025/एपीएआर/2024-25/1486
- IX. मुख्यालय के दिनांक 28.01.2026 के परिपत्र संख्या एचआरडी-II/65/2025/एपीएआर/2024-25/1492
- X. मुख्यालय के दिनांक 12.02.2026 के परिपत्र संख्या एचआरडी-II/65/2025/एपीएआर/2024-25/1504

1. यह दिनांक 12.02.2026 के परिपत्र की निरंतरता में है, जिसमें वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) को स्पैरो के माध्यम से प्रस्तुत करने की समय सीमा में संशोधन किया गया है।

2. यह देखा गया है कि दिनांक 12.02.2026 के परिपत्र के अनुसार पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा टिप्पणियों की अंतिम तिथि (16 फरवरी, 2026) बीत जाने के बाद भी, वर्ष 2024-25 के लिए बड़ी संख्या में एपीएआर अभी भी पुनरीक्षण अधिकारी के स्तर पर लंबित हैं।

3. लंबित एपीएआर को देखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न एपीएआर गतिविधियों को पूरा करने की समय सीमा को आगे संशोधित करने पर सहमति व्यक्त की है। पुनरीक्षण अधिकारियों के स्तर पर संशोधित समय सीमा दिनांक 02.03.2026 तक बढ़ा दी गई है, जो इस प्रकार है:

क्रम सं	गतिविधि	समय सीमा (नियत तिथि या उससे पूर्व)	स्वतःअग्रेषित
1.	पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा एपीएआर को पूरा करना एवं प्रशासन / सीआर अनुभाग को अग्रेषित	02.03.2026	03.03.2026
2.	रिपोर्ट किए गए अधिकारी को एपीएआर का प्रकटीकरण	05.03.2026	-
3.	रिपोर्ट किए गए अधिकारी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करना, यदि कोई हो	प्रकटीकरण के 15 दिनों के भीतर अर्थात् 20.03.2026	-
4.	एपीएआर संरक्षक द्वारा अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करना	25.03.2026	-
5.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व का निपटान और एपीएआर संरक्षक को अग्रेषित करना	24.04.2026	-
6.	एपीएआर संरक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए अधिकारी को निर्णय की सूचना देना	निर्णय को अंतिम रूप दिए जाने के बाद 3 दिनों के भीतर	-
7.	एपीएआर प्रक्रिया का समापन और अंत में रिकॉर्ड में लेना	27.04.2026	-

4. यह दोहराया जाता है कि दी गई समयसीमा अधिकतम समयसीमा है जिसके बाद एपीएआर स्वतः ही अगले स्तर पर चली जाएगी। पुनरीक्षण अधिकारियों और एपीएआर संरक्षकों से अनुरोध है कि वे उनके स्तर पर लंबित मामलों पर नियत तिथि से पहले ही करवाई करें।

5. वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न एपीएआर गतिविधियों को पूरा करने के लिए उपर्युक्त संशोधित समयसीमा का सख्ती से पालन करने का निदेश दिया जाता है।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी।)


(उदय गुप्ता)
क्षेत्रीय.भ.नि.आयुक्त- II (एचआरडी-II)

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि :

1) क्षेत्रीय.भ.नि.आयुक्त (एनडीसी) को वेब अपलोड हेतु

प्रतिलिपि (क.भ.नि.सं वेबसाइट के माध्यम से) सूचनार्थः

1) कें.भ.नि.आ. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी तथा मुख्या सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव।


(उदय गुप्ता)
क्षेत्रीय.भ.नि.आयुक्त- II (एचआरडी-II)